दैनिक भास्कर
भारत का सबसे तेज़ बढ़ता अख़बार
जोधपुर, 8 मार्च 2009

## बहुराज्य निजी बैंकों पर ईपीएफ एक्ट लागू करने पर रोक

**विधि संवाददाता. जोधपुर।** राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुराज्य निजी बैंकों पर ईपीएफ लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका में राजस्थान राजस्थान बैंक प्राइवेट लिमिटेड पर इस एक्ट के प्रावधान लागू करने पर रोक लगा दी है। यह रोक बैंक की ओर से दायर याचिका पर लगाई गई है।

याचिकाकर्ता बैंक की ओर से अधिवक्ता आर मेहता ने कहा कि भारत सरकार ने 25 फरवरी, 2000 व नौ मार्च, 2000 को अधिसूचना जारी कर भारत की सभी निजी बैंकों, जिनकी शाखाएं एक राज्य.से अधिक हिस्सों में हैं, उन पर ईपीएफ एक्ट के प्रावधान लागू कर दिए हैं। याचिका में कहा गया कि भारत सरकार ने यह अधिसूचना केवल निजी बैंकों पर लागू कर सरकारी बैंकों को इस एक्ट के प्रावधानों से मुक्त रखा है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के प्रावधानों के विरुद्ध है।

## निजी बैंकों में ईपीएफ एक्ट लागू करने पर रोक

**जोधपुर, 7 मार्च (विसं)।** राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. विनित कोठारी ने बहुराज्यीय निजी बैंकों पर एम्प्लाइज प्रोविडेंड फण्ड एवं मिसलेनियस अधिनियम (ईपीएफ एक्ट) लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। भारत सरकार ने नौ वर्ष पूर्व 25 फरवरी व 9 मार्च को अधिसूचना जारी कर एक अधिक राज्यों में शाखाओं वाली देश की सभी निजी बैंकों में हो उन पर ईपीएफ एक्ट लागू कर दिया था। राजस्थान बैंक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता रमित मेहता ने याचिका दायर कर इसे को चुनौती दी। याचिकाकर्ता का कहना था कि भारत सरकार की दोनों अधिसूचनाएं संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के विरुद्ध है। दोनों अधिसूचनाएं केवल निजी बैंकों पर लागू की गई है। सरकारी बैंकों को इनसे बाहर रखा गया है। बहस में एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेन्ट की ओर से कहा गया कि भारत सरकार द्वारा जारी दोनों अधिसूचनाएं पूर्णतः विधि सम्मत है।

य एषु सुप्तेषु जागर्ति
राजस्थान पत्रिका